फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्रीमती माया भोई निवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, सदर बाजार, राजनगर, वार्ड नं. 4, राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 50/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.10.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये क्रमांक/आर.टी.आई/2023/251 दिनांक 18.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्रीमती माया भोई निवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, सदर बाजार राजनगर वार्ड नं. 4 राजसमन्द के द्वारा चाही गयी सूचना नायब तहसीलदार सरदारगढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की सह धारा 3 के तहत मूल ही आवेदन पत्र संलग्न कर नायब तहसीलदार सरदारगढ़ को हस्तांतरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उप तहसीलदार सरदारगढ़ से जरिये क्रमाकः आर.टी.आई/2023/183–185 दिनांक 12.10.23 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत एक अपील किया गया है। उक्त बिन्दु के क्रम में निवेदन है कि पटवारी हल्का पनोतिया से जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी जिसके अनुसार प्रार्थीया का कोई आवेदन पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है। तथा प्रार्थीया जिस मृतक का नामान्तरण खुलवाना चाहती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान के प्रमाणित सजरे के अभाव में विरासत का नामान्तरण खुलवाया जाना संभव नहीं है। ग्राम पनोतिया कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 100 में परसराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति भोई एवं मांगीलाल पुत्र रूपलाल हिस्सा 1/2 जाति भोई निवासी राजनगर दर्ज है। इनमें किस खातेदार की मृत्यु हुई है प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं है। ग्राम पनोतिया की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 100 में दोनों ही खातेदारों का निवास स्थान राजनगर अंकित हैं। अतः मृतक के वारिसों का प्रमाणित सजरा	

न्यायालय जिला कलक्टर

तहसीलदार साहब राजसमन्द से प्राप्त कर पेश किया जाना आवश्यक है।

लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार सरदारगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार सरदारगढ़ से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमाकः आर.टी.आई/2023/183–185 दिनांक 12.10.2023 से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया जिस मृतक का नामान्तरण खुलवाना चाहती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान के प्रमाणित सजरे के साथ नियमानुसार आवेदन करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार सरदारगढ़ एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)